न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 130 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट रेस्पोडेंटगण

1. मोहनलाल पुत्र पैलादराम का.मु. मुकेश बनाम 1.मंगलाराम पुत्र खुमाराम वगै.

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम

उपस्थिति

1. वकील श्री पवन सिंहल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मुकेश जैन रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 28.07.2020

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण की अपील अन्दर म्याद पेश है क्योंकि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.09.1966 जो की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों की अवज्ञा कारित कर पारित किया है जो निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.1966 प्रारम्भ से ही शून्य है जिस पर म्याद बिन्दू लागू नहीं होता है। क्योंकि अवैध एवं निष्प्रभावी आदेश व निर्णय जो प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य है वह मयाद अधिनियम से बाधित नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी अपीलांटगण को उक्त आलोच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.1966 की जानकारी वर्ष 2014 में हुई थी जिसकी जानकारी होने पर अपीलांटगण की ओर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बाड़मेर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 232 के तहत एक रेफरेन्स आवेदन संख्या 01 / 2014 बअनवान मोहनलाल बनाम मंगला वगै. प्रस्तुत किया उक्त रेफरेन्स आवेदन को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अंतिम निर्णय हेतु रेफर किया गया था एवं राजस्व मण्डल अजमेर ने उक्त रेफरेन्स आवेदन पर दिनांक 24.05.2017 को निर्णय पारित कर अपीलांट के रेफरेंस को खारिज कर दिया था लेकिन माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 में यह अंकन किया कि धारा 232 के तहत निर्णय को निरस्त करने हेतु रेफरेन्स आवेदन नहीं किया जा सकता लेकिन धारा 42 के प्रावधानों के विरूद्ध खातेदारी अधिकार हस्तांतरण होने पर उसके विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कानून के तहत अग्रू कार्यवाही की जा सकती है। जिस कारण माननीय मण्डल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 के अनुसारण में भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

उक्त निर्णय व डिक्री जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरित है को अपास्त किये जाने के लिये राजस्व मण्डल अजमेर ने अपीलांटगण को श्रीमान के न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने के लिये छूट प्रदान की है जिसके तहत ही अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हस्तगत प्रकरण को तकनीकी बिंदुओं पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अपील के तथ्योनुसार एवं प्रकरण के तथ्योनुसार नरमाई का रूख रखते हुए। अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। अपीलांट अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2018(1) Page 601
RRT 2013(1) Page 426
RRD 1995 Page 272
RRD 1994 Page 715
RRD 1978 Page 01
RRD 1978 Page 234

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हस्तगत अपील से पूर्व अपीलांट ने उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के यहां दिनांक 02.09.2013 को रेफरेंस प्रस्तुत किया था जो माननीय जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 28.05.2015 को राजस्व मण्डल अजमर को प्रेषित किया गया था तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 24.05.2017 को अपीलांट का रेफरेंस खारिज कर दिया है। अपीलांट द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर के यहां प्रस्तुत रेफरेंस में स्पष्ट है कि उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.09.1966 का ज्ञान अपीलांट को प्रारम्भ से था इसी कारण उन्होने रेफरेंस प्रस्तुत किया था। अपीलांट ने मामले को लंबा करने हेतु हस्तगत अपील पेश की गई है। हस्तगत अपील तकरीबन 50 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। अपीलांटगण ने असाधारण विलम्ब का कोई न्यायोचित कारण अंकित नहीं किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल के कई न्यायिक दृष्टांतों में यह अवधारित किया जा चुका है कि असाधारण विलम्ब का यदि कोई समुचित कारण अंकित नहीं किया जाता है तो म्याद के बिन्दु पर ही प्रकरण का निस्तारण सर्वप्रथम किया जाना न्यायोचित है। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का विवरण बताना होता है जबकि अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि के बाद पेश अपील में हुई देरी का विवरण नहीं बताया गया। अपीलांट की अपील मियाद बाहर है अपील पेश करने में हुई देरी का संतोषप्रद कारण नहीं बताया है अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अंतर्गत धारा 05

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत को पठन का निवेदन किया:–

DNJ 2010(1) Page 400
RRT 2014(2) Page 1331
RLW 2012(1) Page 2142
RRT 2011(2) Page 851
RRT 2007(2) SC Page 939
RRT 2013(2) Page 887
RRT 2014(1) Page 502
CCC 2007(4) Page 226
RLW 2011(2) Page 1100

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.1966 को हस्तगत प्रकरण में दोनों पक्षों की उपस्थिति में निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांटगण की इस अनुचित कार्यवाही से न्यायालय का समय जाया किया गया है। अपीलांट द्वारा पेश रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को दिनांक 24.05.2017 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा खारिज किया गया लेकिर हस्तगत अपील दिनांक 08.09.2017 को पेश की गई जो अवधि भी म्याद बाहर है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलांट द्वारा पेश धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में कहीं पर इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश की जानकारी इतने समय तक कैसे नहीं हुई। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है। अपीलांट द्वारा अपील तकरीबन 50 वर्ष की देरी के बाद पेश की गई। अतः अपील को मियाद बाहर करने के आदेश दिये जाते है। अतः अपील अपीलांट मियाद के बिंदु पर खारिज की जाती है।

(प्रतिभा सिंघवी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 28.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर